रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277968
CG-DL-E-17112026-277968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6002] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2026/कार्तिक 25, 1948
No. 6002] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2026/KARTIKA 25, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2026

का.आ. 6242(अ).— केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा महापत्तनों की सीमाओं के भीतर उन गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रतिबंध विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

(क) नौचालन चैनलों, एप्रोच चैनलों, टर्निंग सर्किलों, फेयरवे में या किसी भी प्रतिबंधित नौचालन क्षेत्र में लंगर डालना, ड्रिफ्टिंग या मूरिंग करना, सिवाय ऐसे आपातकाल की स्थिति के जिसमें जीवन, पर्यावरण या पत्तन संपत्ति के लिए खतरा हो और जिसकी तत्काल रिपोर्ट जलयान यातायात सेवा अथवा पत्तन नियंत्रण को दी जानी हो;

(ख) ऐसे प्रचालनों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर खतरनाक सामग्री का जलयान से जलयान कार्गो प्रचालन, बंकरिंग या हस्तांतरण;

(ग) रखरखाव, मरम्मत या प्रचालनात्मक गतिविधियां जो किसी जलयान को निष्क्रिय करती हैं या गतिशीलता को कम करती हैं, जिसके अंतर्गत हॉट वर्क, अंडरवाटर निरीक्षण, पतवार की सफाई या मशीनरी परीक्षण शामिल हैं;

(घ) नाव्य जलक्षेत्रों में पत्तन कार्य, पूंजीगत या रखरखाव कार्य, ड्रेजिंग, निर्माण, डाइविंग या अंडरवाटर गतिविधियां;

(ङ) मत्स्ययन गतिविधि, जाल बिछाना या फ्लोटिंग गियर को स्थापित करना जो जलयान की आवाजाही में बाधक या उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकते है;

(च) किसी जलयान या एरियल क्राफ्ट का प्रचालनात्मक क्षेत्रों या प्रतिबंधित नौगम्य क्षेत्रों में प्रचालन, जहांऐसे प्रचालन से नौचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है; और

(छ) ऐसा कोई भी कृत्य जिसके परिणामस्वरूप फ्लोटिंग वस्तुओं या मलबे को इस प्रकार निस्तारित या प्रवाहित किया जाता है जिससे सुरक्षित नौचालन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,"प्रतिबंधित नौचालन क्षेत्र" से ऐसा कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसकी पहचान पत्तन प्राधिकरण, संरक्षक या जलयान यातायात सेवा द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में की गई है जहां नौचालन सुरक्षा के हित में प्रवेश, एंकोरिंग या प्रचालन को विनियमित किया जाता है।

2. संरक्षक या हार्बर मास्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति महापत्तन की सीमाओं के भीतर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसी को भी संचालित नहीं करेगा।

[फा. सं. पीडी-24015/18/2026- पीडी-1/ई-383490]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

S.O. 6242(E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government hereby specifies the following restrictions on activities which may cause impediments to navigation within the limits of major ports, namely:-

(1) anchoring, drifting or mooring in navigational channels, approach channels, turning circles, fairways or in any restricted navigation zone except in the case of an emergency involving an imminent threat to life, the environment, or port property with immediate reporting to the vessel traffic service or Port Control;

(2) vessel to vessel cargo operations, bunkering or transfer of hazardous materials except in areas designated for such operations;

(3) maintenance, repair or operational activities that immobilise a vessel or reduce maneuverability including hot works, underwater inspections, hull cleaning or machinery trials;

(4) port works, capital or maintenance works, dredging, construction, diving or underwater works in navigable waters;

(5) fishing activity, net deployment or placement of floating gear that may obstruct or endanger vessel movement;

(6) operation of any vessel or aerial craft in operational areas or restricted navigation zones, where such operation may cause impediment to the navigation; and

(7) any act resulting in the release or drifting of floating objects or debris that may endanger safe navigation.

Explanation.— For the purposes of this notification, "restricted navigation zone" means any area identified by the Authority as defined under sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Act, conservator or vessel traffic service where entry, anchoring or operations are regulated in the interest of navigational safety.

2. No person shall carry out any of the above mentioned activities within port limits except with prior written permission of the conservator or harbour master of the major port.

[F. No. PD-24015/18/2026-PD-1/E-383490]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA